अध्याय 17

सतर्कता

सतर्कता

1. कार्य

कोयला मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठनों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और उसकी 8 सहायक कंपनियों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से संबंधित सतर्कता मामलों के अलावा मंत्रालय में सतर्कता प्रशासन की निगरानी करता है। मंत्रालय का सीवीओ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), डीओपी एंड टी तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ सतर्कता मामलों पर मिल कर काम करता है। संगठन में प्राप्त शिकायतों पर सीवीसी की 'कम्पलेंट हैंडलिंग पॉलिसी' के अनुसार कार्रवाई की जाती है और कंपनी के कर्मचारियों के सुग्राहीकरण हेतु शिकायतों की प्राप्ति से निपटान तक औचक जांच, नियमित जांच, गुणवत्ता जांच, अनुवर्ती जांच–पड़ताल एवं सीटीई किस्म की जांच जैसी पूर्व कार्रवाई, निवारण और दंडात्मक ढंग से कम्पलेंट ट्रैकिंग सिस्टम (सीटीएस) का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की जाती है।

सतर्कता अनुभाग में वर्ष 2020 (01.01.2020 से 31.12.2020 तक) के दौरान निपटाए गए सतर्कता संबंधी मामलों तथा लंबित मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

स्रोत	शुरुआती शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटान	शेष	अवधि–वार लंबित (महीना)			
						<1	1-3	3-6	>6
सीवीसी	2	1	3	3	0	0	0	0	0
अन्य	148	307	455	423	32	21	4	7	0

जनता से प्राप्त कोयला मंत्रालय, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, सीएमपीएफओ और सीसीओ के अधिकारिया/कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति, विभिन्न निविदाएं प्रदान करने, कोयले की चोरी, मुआवजे के संबंध में भ्रष्टाचार आदि के संबंध में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

2. संगठन की संरचना

मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला नियंत्रक संगठन के सतर्कता स्कन्धों के सीवीओ प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। संगठनों के बोर्ड स्तर से निचले अधिकारियों के सतर्कता मामलों की जांच संबंधित कंपनी के सीवीओ द्वारा की जाती है तथा बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में कंपनी के सीवीओ सीवीसी के परामर्श से तथ्यात्मक रिपोर्टें उपयुक्त कार्रवाई हेतु मंत्रालय को भेजते हैं।

3. सतर्कता जागरूकता का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह "सतर्क भारत, समृद्ध भारत " नामक विषय पर दिनांक 27.10.2020 से 02.11.2020 तक मनाया गया।

इस जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता संबंधी मसलों पर जागरूकता सृजित करने के लिए मंत्रालय और सभी सहायक कंपनियों में भी प्रतिज्ञा, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि आयोजित की गईं।

4. समीक्षा / निगरानी तंत्र

सतर्कता मामलों तथा आईटी पहलों के कार्यान्वयन से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं। दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक दिनांक 11.04.2020 को सचिव, कोयला की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और अन्य बैठक दिनांक 11.09.2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सं.स. एवं सीवीओ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीवीसी के अधीन वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 19.03.2020 और 23.12.2020 को कोयला क्षेत्रों के सीवीओ के साथ किया गया था।

5. 2019–20 के दौरान जारी प्रणाली सुधार उपाय

इममूवेबल प्रोपर्टी रिटर्न (आईपीआर) ऑनलाइन जमा करने, अधिकारियों के संवेदनशील पदों से असंवेदनशील पदों पर रोटेशनल ट्रांसफर आदि में सभी संगठन सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा, 2019–20 के दौरान जारी किए गए

क्र.सं.	प्रणाली सुधार	कार्यान्वयन की स्थिति
1	एक्स–सर्विसमैन (ईएसएम) कंपनियों के जरिए कोयले की लोडिंग और ढुलाई हेतु डीजीआर के साथ एमओयू के पुनरावलोकन के लिए सुझाव।	डब्ल्यूसीएल, एससीसीएल और एनसीएल के लिए ईएसएम कंपनियों से सिविलियन मोड तक कोयले की ढुलाई के लिए पारगमन योजना को सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया जा चुका है और जीएम (सीएमसी) सीआईएल द्वारा सहायक कंपनियों के साथ–साथ डीजीआर, नई दिल्ली को भी सूचित किया गया है।
2	कोयला एवं ओबी के मापन हेतु 3डी टीएलएस का उपयोग : सर्तकता प्रभाग, सीआईएल द्वारा मामले पर बातचीत की गई थी।	केवल 3डी टीएलएस का इस्तेमाल करते हुए अधिकतम कोयला भंडार वाली 35 शीर्ष खानों के लिए कोयला भंडार मापन के संबंध में जीएम (उत्पादन), सीआईएल द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया जा चुका है।
3	अतिरिक्त निष्पादन गारंटी (एपीएस) को प्रस्तुत करने के संबंध में कांटेक्ट मैनेजमेंट मैनुअल (सीएमएम) में संशोधन।	सीआईएल प्रबंधन द्वारा संशोधनों को अनुमोदन दिया गया और कार्यान्वयन हेतु परिचालित किया गया।
		ई–खरीद पोर्टल में वस्तुओं का मद–वार मूल्य की खोज सुविधा को शामिल करने के लिए मामले को एनआईसी के साथ उठाया गया है।
4	मूल्य के औचित्य का पता लगाने के लिए ई–खरीद पोर्टल के जरिए सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में दरों के सत्यापन के लिए कुछ प्रणाली सुधार सुझाए गए हैं।	ग्रेड का पता लगाने में सुधार करने हेतु कोयला गुणवत्ता सैंपल टेस्टिंग डाटा अपलोडिंग, संकलन और विश्लेषण के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ये मामला सीआईएल के शीर्ष प्रबंधन द्वारा विचाराधीन है।
5	कोयले की गुणवत्ता और ग्रेड की गिरावट के संबंध में रोकथाम सतर्कता पहल के अंतर्गत मिशन गुणवत्ता प्रबंधन।	दिनांक 17.04.2020 को हुई सीएमडी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मापन के 15 दिनों के भीतर सीएमपीडीआईएल द्वारा ओबी मापन रिपोर्ट जमा करने के लिए जीएम (उत्पादन) सीआईएल द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया जा चुका है।
6	मापन के 15 दिनों के भीतर सीएमपीडीआईएल द्वारा ओबी मापन रिपोर्ट जमा करने के संबंध मे: मामले पर सतर्कता विभाग द्वारा बातचीत की गई थी।	अध्यक्ष द्वारा निर्देश जारी किए गए और सभी सहायक कंपनियों के सीएमडी को भेजे गए।
7	कोयला प्रेषण बिलिंग में कमियों को देखते हुए प्रणाली सुधार।	सीआईएल बोर्ड के अनुमोदन से जीएम (उत्पादन) ने रखरखाव, नियंत्रण, कोयला भंडार तथा मापन का सत्यापन, सीआईएल की सभी खानों में ओबी हटाने के सत्यापन की एक एकीकृत प्रणाली संहिता जारी की (येलो बुक नामक संशोधन, 2020)

क्र.सं.	प्रणाली सुधार	कार्यान्वयन की स्थिति
8	येलो बुक के संशोधन के लिए विशिष्ट सुझावों के साथ रिपोर्ट।	एनसीएल, सतर्कता प्रभाग में शिकायतों की जांच करते समय कई अनियमितताएं सामने आईं। टेंडरिंग की प्रथम चरण की सलाह के दौरान सीवीसी ने सीवीओ– कोयला मंत्रालय, सीवीओ–सीआईएल, सीवीओ–एनसीएल की समिति गठित करने के निदेश दिए थे ताकि सीवीओ, एनसीएल के प्रणाली सुधार सुझावों का अध्ययन किया जा सके। सीवीओ की समिति ने सीवीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
9.	सीआईएल के खरीद मैनुअल के विभिन्न प्रावधानों के सदर्भ में प्रणाली सुधार सुझावों पर कोयला मंत्रालय, सीआईएल और एनसीएल के सीवीओ समिति की रिपोर्ट।	आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सीआईएल के खरीद मैनुअल के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में प्रणाली सुधार सुझावों से संबंधित सीवीओ की सिफारिशें अनुपालन हेतु अध्यक्ष, सीआईएल को भेजी गईं हैं। मामले में उपयुक्त दिशा–निर्देशनिर्देश जारी करने के लिए सीआईएल प्रबंधन का एटीआर अभी प्राप्त किया जाना है।

अन्य प्रणाली सुधार सुझाव निम्नानुसार हैः–

6. आईटी पहलों का कार्यान्वयन

कोयले की चोरी तथा उठाईगिरी को रोकने, वास्तविक डाटा प्राप्त करने एवं प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए, जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम की एकीकृत प्रणाली को व्यापक एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) के माध्यम से तुलन सेतुओं, सामग्री भंडारों, प्रवेश/निकास स्थलों, स्टॉकयार्ड, साइडिंग्स, विस्फोट मैगजीन आदि जैसे अति संवेदनशील स्थलों से जोड़ने की सीआईएल की सभी कंपनियों में परिकल्पना की गई तथा इसे कार्यान्वित किया गया है। 31 दिसम्बर, 2020 तक की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	मद का नाम	आवश्यकता	31.12.2020 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन स्थिति अर्थात् स्थापित/शुरू किए गए
1.	जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली	13612	9798
2.	सीसीटीवी द्वारा इलैक्ट्रानिक निगरानी	11964	6473
3.	आरएफआईडी आधारित वूम बेरियर्स एंड रीडर्स	1324	741
4.	तौलसेतु की स्थिति (सड़क)	927	811
5.	वाइड एरिया नेटवर्किंग	2262	1557
6.	कोलनेट के कार्यान्वयन की स्थिति	50	47

*****